अब्दुल रहीम

अपीलार्थी :

सुनवाई दिनांक 11/3/2014

विरूद्ध

अधीक्षक

प्रतिअपीलार्थी सैयद आबिद अली द्वारा विधिक प्रतिनिधि

श्री सैयद साबिर अली अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
26 FEB 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

आवेदक सैयद साबिर अली आत्मज स्व. सैयद आबिद अली उम्र 62 वर्ष पता– म.नं. 263, नया मोहल्ला जबलपुर (म0प्र0)

216

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

यह कि पुनार्विलोकन आवेदन पत्र लंबित द्वितीय अपील कमांक 284/अ–6/20103–04 में पारित आदेश दिनांक 09/08/2011 जिसके द्वारा आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों को विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रतिअपीलार्थी सैयद आबिद अली के विधिक प्रतिनिधि के रूप में शामिल किये जाने से व्यथित होकर किया जाता है।

24 FEB 2014

आवेदक, उपर्युक्त नामित सविनयम प्रार्थना करता है :–

NOTARY
Name- Ramdas Sharma
Area Jabalpur
Distt. MP
Reg.-8.4.94
GOVT. OF M.P. INDIA

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, अब्दुल रहीम के द्वारा प्रस्तुत यह अपील जो कि धारा 44(2)(1) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है। यह अपील वक्फ खानकाह निजामिया आगा चौक मजार के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है एवं आवेदक के पिता सैयद आबिद अली को मुतवल्ली के रूप में पक्षकार बनाया गया था।

2. यह कि, आवेदक के पिता की मृत्यु दिनांक 11/06/2006 को हो चुकी है। इसके पश्चात उत्तराधिकारी मुतवल्ली के रूप में सैयद लियाकत अली की नियुक्ति हुई है।

3. यह कि, आवेदक द्वारा कई बार अपीलार्थी से संदर्भित आदेश की प्रति मांगी गई जो उसे अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके पश्चात आवेदक द्वारा दिनांक 01/02/2014 को उपरोक्त आदेश की सत्यप्रतिलि प्राप्त करने हेतु

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु –1064–एक/15 **जिला** –जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
17.11.15	शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री बी0 एन0 त्यागी उपस्थित । उनके द्वारा अपनी ओर से तर्क प्रस्तुत कर बताया गया है कि मूल आदेश मृतक सैयद अली के 08 वारिसानों को मृतक आबिद अली के उत्तराधिकारी के रूप में जोड़ने के आवेदन पर किया गया था, इसका विरोध उत्तरवादी सैयद लियाकत अली ने इस आधार पर किया था म0प्र0 वक्फ बोर्ड द्वारा अधिकृत मुतवल्ली है और उसका नाम अभिलेख में जोडना चाहिये । 2– अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि यह अपर आयुक्त के न्यायालय में जो अपील की है वह व्यक्तिगत हैसियत से की है या मुतवल्ली की हैसियत से है इसका परीक्षण जरूरी है । 3– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वही तथ्य दोहराये गये है जो उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत लेखी बहस में प्रस्तुत किये गये है । उनके द्वारा अपनी बहस में बताया गया है कि आवेदक के परिवार के सदस्यों को विधिक वारसानों के रूप में शामिल किये	

जाना है क्यों कि उक्त संपत्ति की देख रेख उनके पिता ही मुतवल्ली की हैसियत से कर रहे थे ।

3– अतः अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र कमांक 171/रीडर–2/2015 दिनांक 10.4.15 द्वारा संलग्न प्रकरण कमांक 284/अ–6/03–04 पक्षकार अब्दुल रहीम विरूद्ध सैययद आबिद अली आदेश पत्रिका दिनांक 12.3.15 में पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की जाती है ।

एम0 के0 सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0
ग्वालियर